



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 175/18

निर्णय दिनांक 06.08.2018

1. शान्ति पत्नी स्व. पाबुराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22-06-2011  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थित:-

1. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 22-06-2011 जिसके द्वारा अपीलांत का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत ने विशेष आवंटन के तहत चक 13 बीएसएम के मुरब्बा

नम्बर 165/46 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22-06-2011 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरुद्ध है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-06-2011 के विरुद्ध अपील दिनांक 05-03-18 को पेश की है। जो करीब 07 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 22-06-2011 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22-06-2011 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।  
  
(2) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 13 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 165/46 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी समान वरियता में अनुपस्थित होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना व अन्य आवेदकों के प्रार्थना पत्र की जाँच के उपरान्त पाया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि हेतु अन्य आवेदकों द्वारा भी अपने-अपने प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवेदकों को नोटिस जारी किये गये।

(4) चूंकि अपीलांट बावजदू सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर व अन्य आवेदकों के उपस्थित आने पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र समान वरियता में अनुस्थित रहने के कारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार यह साबित है कि अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 22-06-2011 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर